विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 05 द्वारा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य विधानसभा।

प्रश्न सं. [क्र. 5]

परिशिष्ट – एक

श्री अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रेषित की गयी शिकायती पत्र में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :–

राज्य सरकार ने कल देर रात वर्ष 2017 के बड़े आबकारी घोटाले के आरोपियों को बहाल करने का आदेश निकाला। इसकी जांच भी पूरी नहीं हुई है। लोकायुक्त के साथ यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। सरकार ने जिस चोरी छुपे तरीके से यह बहाली का जो आदेश निकाला है, वह घोटाले में एक और घोटाला होने का संकेत दे रहा है।

एक सितम्बर को इंदौर हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आबकारी घोटाले के मामले में जो जवाब माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें स्पष्ट यह उल्लेख किया गया था कि इस आर्थिक गड़बड़ी के प्राथमिक जिम्मेदार सहायक आयुक्त संजीव दुबे ही हैं। जवाब में यह भी लिखा गया था कि इस आर्थिक गड़बड़ी की जांच 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने की। उनकी जांच रिपोर्ट में सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे को ही जवाबदेह ठहराया गया। वर्ष 2015 में शराब की बिक्री न्यूनतम दर से कम करने के मामले में भी सहायक आयुक्त संजीव दुबे के खिलाफ लोकायुक्त मे शिकायत दर्ज कर जांच लंबित थी। वर्ष 2016–17 के आबकारी ठेकों की नीलामी और मदिरा कय के चालानों में हेरफेर कर सरकार को 42 करोड़ का चून लगाने और वर्ष 2015–16 में खरगौन, झाबुआ, खंडवा, बड़वानी जिलों में दुकानों की पुनः नीलामी में सरकार को 34 करोड़ का चूना लगाने वाले सहायक आबकारी आयुक्त एवं अन्य पांच आबकारी अधिकारी और कर्मचारियों को बहाल करने का शासन के निर्णय में निश्चित ही एक बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले की बू आ रही है। आखिर सरकार घोटालेबाज के प्रति इतनी मेहरबान क्यों है ?

हैरान करने वाली बात यह है कि बहाली के जो आदेश सरकार ने निकाले हैं, उसमें भी उपरोक्त अधिकारी कर्मचारियों को दोषी माना है, फिर भी बहाली का आदेश निकाला गया। सरकार के सामने ऐसी कौन सीं मजबूरी थी, कि शासन को 75 करोड़ से अधिक का चूना लगाने वाले और अमानत में खयानत करने वाले इन अधिकारी कर्मचारियों को बहाल करना पड़ा।

उपभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

(अजय शर्मा)
सहायक आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-दो

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 05 द्वारा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य विधानसभा।

--00--

(i) इन्दौर जिले के शराब कारोबारियों द्वारा कूटरचित चालानों के माध्यम से शासकीय राजस्व की क्षति कारित करने के संबंध में कलेक्टर इन्दौर के पत्र कमांक आब/ठेका/2017/6698 दिनांक 08.08.2017 द्वारा अवगत काये जाने पर प्रकरण में आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 09 अगस्त 2017 द्वारा 05 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया था। जांच दल द्वारा दिनांक 10.08.2017 से दिनांक 15.08.2017 तक जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार जिला इन्दौर में देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा चालानों में कूटरचना तथा हेराफेरी कर, माह दिसम्बर 2015 से माह जुलाई 2017 की अवधि में कुल रुपये 41,73,73,670/- आबकारी राजस्व की क्षति परिलक्षित हुई। कलेक्टर जिला इन्दौर के पत्र क्रमांक/आब./मु.लि./2018/601, दिनांक 12.02.2018 से प्राप्त नवीन जानकारी अनुसार कोषालयीन चालानों पर कूटरचना एवं हेराफेरी के प्रकरण में वास्तविक राशि रूपये 41,65,21,890/- है।

(ii) राज्यकीय कोष को प्रथम दृष्ट्या पहुंचाये गये लगभग 41.65 करोड़ रूपये के नुकसान के विरुद्ध लगभग 21.6 करोड़ रूपये की वसूली की जा चुकी है एवं अवशेष बकाया की वसूली हेतु कार्यवाही जारी है।

(iii) इन्दौर जिले के कतिपय शराब कारोबारियों द्वारा कूटरचित चालानों के माध्यम से शासकीय राजस्व को कुप्रभावित किए जाने संबंधी मामले में प्रथम दृष्ट्या अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में बरती गई अत्यंत गंभीर लापरवाही के फलस्वरुप राज्य शासन को हुई आर्थिक हानि के प्रकाश में आने से शासन आदेश दिनांक 06 सितम्बर 2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से (1) श्री संजीव दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त, तत्कालीन जिला इन्दौर, (2) श्री धर्मेन्द्र सिंह सिसोदिया, तत्कालीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं देशी मदिरा मद्यभांडागार अधिकारी इन्दौर, वर्तमान पदस्थापना अग्रवाल डिस्टलरीज बडवाह, जिला खरगौन, (3) श्री सुखनंदन पाठक, तत्कलीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं मद्यभाडागार अधिकारी मद्यभांडागार महू, (4) सुश्री कौशल्या साबवानी, तत्कालीन आबकारी उपनिरीक्षक एवं मद्यभांडागार अधिकारी, मद्यभांडागार महू (5) श्री डी.एस. परमार, तत्कलीन मुख्यलिपिक, कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला इन्दौर प्रभारी लिपिक राजस्व संग्रह शाखा (6) श्री अनमोल गुप्ता, तत्कालीन सहायक ग्रेड-3, कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला इन्दौर प्रभारी लिपिक तोजी शाखा को निलंबित किया गया था।

(iv) आबकारी राजस्व की क्षति हेतु उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 18 के तहत कॉमन कार्यवाही किए जाने हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर शासन द्वारा दिनांक 29.09.2017 से (1) श्री विनोद रघुवंशी, तत्कलीन उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, इन्दौर (2) श्री संजीव दुबे, तत्कलीन सहायक आबकारी आयुक्त, जिला इन्दौर, (3) श्री धर्मेन्द्र सिंह सिसोदिया, तत्कलीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं मद्यभांडागार अधिकारी इन्दौर (4) सुश्री कौशल्या साबवानी, तत्कलीन आबकारी उपनिरीक्षक एवं मद्यभांडागार अधिकारी, मद्यभांडागार महू (5) श्री सुखनंदन पाठक, तत्कलीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं मद्यभाडागार अधिकारी मद्यभांडागार महू (6) श्री डी.एस. परमार, तत्कलीन मुख्यलिपिक, कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला इन्दौर प्रभारी लिपिक राजस्व संग्रह शाखा (7) श्री अनमोल गुप्ता, तत्कलीन सहायक ग्रेड-3, कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला इन्दौर प्रभारी लिपिक तोजी शाखा (8) श्री रविप्रकाश दुबे, तत्कलीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी, प्रभारी राजस्व संग्रह शाखा कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला इन्दौर (9) श्री आनंदी लाल भटेवरा, लेखापाल, प्रभारी लिपिक तौजी शाखा कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला इन्दौर के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी किए गए है।

(v) शासकीय राजस्व को हानि पहुंचाने के आपराधिक कृत्य के लिए पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना की जा रही है, तथा उपायुक्त आबकारी/सहायक आबकारी आयुक्त एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य में बरती गयी लापरवाही एवं नियंत्रण/पर्यवेक्षण की कमी के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किए जाकर विभागीय जांच संस्थित किए जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(vi) शासन स्तर से विभागीय जांच उपरांत प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर संबंधितों का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा एवं तदनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(vii) उपरोक्त प्रक्रिया में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारियों सर्व 1. श्री संजीव दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त, 2. श्री धर्मेन्द्र सिंह सिसोदिया, सहायक जिला आबकारी अधिकारी 3. श्री सुखनंदन पाठक, सहायक जिला आबकारी अधिकारी 4. सुश्री कौशल्या साबवानी, आबकारी उपनिरीक्षक 5. श्री डी.एस. परमार, मुख्यलिपिक, 6. श्री अनमोल गुप्ता, सहायक ग्रेड-3, को मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 10.01.2018 से निलंबन से बहाल किया गया है।

अनुभागे अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल